

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 873 / 2012 / श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-ए, श्रीगंगानगर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जैन हौजरी,
श्रीगंगानगर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/03/2014

निर्णय


1. यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 404/आरवेट/श्रीगंगानगर/2010-11 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 14.10.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।
2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी का कर निर्धारण वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 23.02.2011 को आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 में खरीद किये गये माल पर आई.टी.सी. क्लेम की गयी। आई.टी.सी. क्लेम की गयी खरीद में से प्रत्यर्थी को विक्रेता व्यवसाई द्वारा क्रेडिट नोट जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा इन क्रेडिट नोट की राशि पर आई.टी.सी. क्लेम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने इन जारी क्रेडिट नोट की राशि पर अधिनियम की धारा 18 (1)(ए) से (जी) के प्रावधानों की सीमा से भिन्न निष्पादन पाये जाने के कारण आई.टी.सी. क्लेम देय नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा क्लेम की गई आई.टी.सी. को अस्वीकार कर रिवर्स कर दिया तथा ब्याज भी आरोपित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है। जिसमें आई.टी.सी. क्लेम कर रूपये 15,508/- व ब्याज रूपये 857/- को विवादित किया गया है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उद्धरित निर्णयों का अध्ययन किया गया। रेकार्ड से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त अवधि में Trade Discount के तहत क्रेडिट नोट प्राप्त हुए हैं। क्रेडिट नोट की बिक्री को बढ़ाने के ऐवज में इन्सेन्टिव के तहत प्राप्त हुए हैं। इन क्रेडिट नोट्स के आधार पर आई.टी.सी. का समायोजन भी प्रत्यर्थी के द्वारा नहीं लिया गया है। प्रत्यर्थी ने माल का विक्रय राज्य के भीतर कर नियमानुसार कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया है। अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार Case Discount or Trade Discount बिक्री के बिल जारी करते समय ही बिक्री मूल्य में कम किया जा सकता है लेकिन बिक्री करने के बाद दिये गये Case Discount or Incentive Rebate इत्यादि को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किया जा सकता है। अतः यह क्रेडिट नोट्स बिक्री होने के बाद में जारी किया गया है। अतः इनका प्रभाव आई.टी.सी. पर नहीं पड़ता है। प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 18(1)(ए) से (जी) के प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं किया है। उक्त आरोपित रिवर्स टैक्स विधि सम्मत नहीं है। इस संबंध में प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धरित उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते हैं।

7. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.10.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


3-3-14
(अमर सिंह)
सदस्य